न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	62/2019	21.08..19	05/25	(2025/05)	15.01.2025	14.11.2025	1 लगायत 10
2	16/2023	12.09.23					

1. रूबिना बानो पत्नि मोहम्द अरशद जाति मुसलमान निवासी ग्राम बहतेड हाल निवासी जामा मस्जिद के पास गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

——अपीलान्ट

बनाम

1. आरिफा बानो पत्नि अब्दुल शाहिद जाति मुसलमान निवासी पटेल नगर, गंगापुर सिटी।
2. शमीमा बानों पत्नि आकिब अहमद जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
4. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उपखण्ड लालसोट।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–
अपीलार्थी की और सेः– विद्वान अभिभाषक श्री भानू कुमार सिंहल
रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की और से :– श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट सं0 3 की और से :– पेरोकार सरकार
रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 की और से पूजा वेदी सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उपखण्ड लालसोट।

अपील अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अर्न्तगत

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रार्थीया रूबिना बानो, आरिफा बानो व शमीमा बानों में तहसीलदार गंगापुर सि[illegible] द्वारा पारित विभाजन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने ग्राम उदेईकलां स में स्थित भूमि खं0नं0 4987 रकबा 0.25 है0 एव 4987 रकबा 0.22 है0 का आपसी सहमति से तकासमा किया है,साथ ही अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 28.12.2012 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत द्वारा पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् , प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट , प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0, व अन्तिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट की सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 28.12.2012 का है। जिसकी अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा साजिशी कार्यवाही के तहत मुआवजा लेने की कहने पर व उसके बाद उक्त राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त करने पर हुई है। इस तरह उक्त आदेश की अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। जिस कारण दिनांक 28.12.2012 की नकल प्राप्त होने तक का समय कण्डोन किये जाने योग्य है तथा अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाये जाने योग्य है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुये लगभग 6 वर्ष 8 माह के डिले के सन्दर्भ में कोई वास्तविक व उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। सही तथ्य यह है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 तीनों महिलाये है तथा तीनों की पर्याप्त व उचित सहमति के आधार पर ही उक्त भूमि के सन्दर्भ में विभाजन पक्षगण की सहमति से गवाहान की उपस्थिति में किया गया, जिस पर पक्षगण व गवाहान ने अपनी सहमति से हस्ताक्षर किये । जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विवादित भूमि के हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 13:04:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विभाजन की जानकारी आदेश दिनांक 28.12.2012 से ही थी। अपीलान्ट ने आदेश की जानकारी होने के जो तथ्य मद में अंकित किये है। वे बिल्कुल गलत अंकित किये है, उक्त मद में अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र मुआवजा लेने की कहने तथा राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज की जानकारी नकल प्राप्त होने पर किया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 बी के लिये सरकार द्वारा अवाप्त की गयी भूमि के बाबत् सरकार द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही की गयी, जिसमें अवाप्त शुदा भूमि जिन–जिन खातेदारों की थी उन्हे सूचित किया जाकर सुना गया, इसके बाद ही मुआवजे की राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी। जिसके बाबत् दिनांक 29.12.2015 को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि विवादत भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली मुआवजे की अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 20.08.2019 से पूर्व नहीं थी। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक रूप से परेशान करने की नीयत से मिथ्या तथ्य अंकित कराते हुए अपील को मयाद में लेने का प्रयास किया गया है। क्योंकि कानूनन उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.12.2012 से अपील पेश करने के लिये 30 दिन की अवधि निर्धारित/नियत है, जबकि उक्त अपील बिना कोई उचित कारण अंकित किये लगभग 6 वर्ष 8 माह बाद पेश की गयी है जो मियाद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ की अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम जयपुर व सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उपखण्ड लालसोट द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टान ने आपस में साज कर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत कर दी है। उक्त विवादित आराजीयात राजकीय भूमि है, जिसे पूर्व में नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त किया जा चुका है।उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि को केन्द्र सरकार द्वारा नियमानुसार अधिग्रहण कर ली गई है। उक्त वाद आराजीयात खाते धारकों से अवाप्त की गयी है। जिसका नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुआवजा राशी भी जारी की जा चुकी है। उक्त वाद आराजीयात राजकीय भूमि है तथा राजकीय हित निहित है। इसलिये प्रार्थीगण को केन्द्र सरकार की और से उक्त प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है, साथ ही प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 पर पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त अपील अर्न्तगत धारा 223 राज0टी0एक्ट के तहत पेश की गई है। धारा 223 राज0टी0एक्ट के तहत उक्त प्रकरणों में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को निहित नहीं है। उपरोक्त उनवानी अपील जिस निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी हैं वह तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दोनों पक्षों की सहमति अर्थात दोनों पक्षों द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामें के आधार पर सहमति होने पर विभाजन भूमि हेतु निर्णय पारित किया गया है।जिसके विरूद्ध कोई अपील चलने योग्य नहीं है तथा श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त अपील सुनने का न्यायालय हाजा को पूर्णतया क्षेत्राधिकार है। उक्त अपील विधि अनुसार पूर्णतया पोषनीय है। जिसकी बाबत् विस्तृत तथ्य अपील मीमों में अंकित कर रखे है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से गलत तरीके से पेश किया है। जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट पर [illegible] ने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 4987 में से एक बीघा भूमि स्थित ग्राम उदेई कलॉ तहसील गंगापुर सिटी जो पूरब से पश्चिम 206.6 फिट उत्तरी ओर तथा 231.6 फिट दक्षिण की ओर तथा उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा की और 155 फिट तथा पश्चिमी दिशा की और 100 फिट रही है तथा जिसकी सीमा इस प्रकार है:—

1. पूरब में चरपेटवां भूमि विक्रेतागण की
2. पश्चिम में सरकारी नहर
3. उत्तर में भूमि सड़क रास्ता आम
4. दक्षिण में चरपेटवां भूमि शरीफमुल्ला की

इस तरह उक्त नाम व सीमाओं के मध्य स्थित भूमि अपीलार्थी ने सन् 1998 में विक्रेतागण से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया और तभी से उक्त निश्चित नाप व सीमाओं के मध्य स्थित भूमि पर अपीलार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जो आज भी बदस्तूर है। मगर रेस्पोडन्ट से प्रार्थी की उक्त खरीदशुदा व कब्जेशुदा भूमि में से गलत तरीके से भूमि लेना चाहते है। इस कारण साजिशी व धोखाधडी पूर्ण तरीके से बॅटवारे की कार्यवाही की गयी थी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा में पेश कर रखी है। मौके की स्थिति रिकोर्ड पर लाने के लिये मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वार तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिनांक 17.06.2015 को विवादित भूमि की विस्तृत वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिस पर दिनांक 16.07.2015 को मौका रिपोर्ट व भूमि के सीमांकन हेतु एक टीम का गठन तहसीलदार द्वारा किया गया ,जिसमें सुरेश चन्द्र शर्मा भू—अभिलेख निरीक्षक, विष्णुदयाल अग्रवाल पटवारी गंगापुर हल्का , सुनीता चाहर द्वारा मौके पर पहुंच कर भूमि खं0नं0 4987 रकबा 0.25 है व 8008/4987 रकबा 0.22 है0 का मौके पर सीमाज्ञान करके विस्तृत रूप से मौके की वस्तुस्थिति की जांच कर रिपोर्ट दिनांक 16.07.2015 को तैयार कर जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को भिजवा दी। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि के बाबत् मौके की वस्तुस्थिति की जानकारी पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 16:16:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

को मुकदमा करने से पूर्व से रही तथा मुकदमा करते ही अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिससे मौके पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रकरण में नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त करना न्यायोचित नहीं है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया है तत्पश्चात् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इसी विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि बाबत् जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पूर्व में ही दिनांक 16.07.2015 को मंगवायी जा चुकी है। जिसमें मौके पर गठित टीम द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट बनाकर भेजी गई थी। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र द्वारा पेश की जा रही है। जो उक्त प्रकरण के निर्णय के लिए आवश्यक व अहम दस्तावेज है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तोवजों की सूची में अंकित दस्तावेज 1 व 2 रिकोर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलार्थीया के सामने नहीं बनाई गई है, ना ही अपीलार्थी के समक्ष मौका देखा गया है। तथाकथित मौका रिपोर्ट वर्तमान मौका स्थिति से भिन्न है। जो अपीलार्थी को स्वीकार नहीं है। न्यायहित में उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका देखकर मौका रिपोर्ट पेश करना आवश्यक है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 मय खर्चा निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया है, तत्पश्चात् उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने अन्तिम बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 4987 में से एक बीघा भूमि स्थित ग्राम उदेई कलॉ तहत तहसील गंगापुर सिटी जो पूरब से पश्चिम 206.6 फिट उत्तरी ओर तथा 231.6 फिट दक्षिण की और तथा उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा की और 155 फिट तथा पश्चिमी दिशा की ओर 100 फिट रही है तथा जिसकी सीमा इस प्रकार है, पूरब में चरपेटवां भूमि विकेतागण की, पश्चिम में सरकारी नहर, उत्तर में भूमि सड़क रास्ता [illegible] व दक्षिण में चरपेटवां भूमि शरीफमुल्ला की, इस तरह उक्त नाप की [illegible] भूमि अपीलार्थी ने सन् 1998 में विकेतागण से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया [illegible] से उक्त निश्चित नाप व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सीमाओं के मध्य स्थित भूमि पर अपीलार्थी ने चारों तरफ पांच फिट ऊँची बाउण्ड्री बाल फेन्सिंग के रूप में करते हुए उसमें फसल रखने व कृषि उपकरण रखने के लिये 8 X 22 फिट नाप का कमरा बना लिया जो अपीलार्थी के ही कब्जे व उपयोग में चला आ रहा है, इस तरह अपीलार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त निश्चित नाप व सीमाओं के मध्य स्थित भूमि खरीदने के बाद उक्त खसरा नम्बर की कुछ भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने खरीद ली। अपीलार्थी बिना पढ़ी लिखी महिला है जो दस्तावेजों के बारे में नहीं समझती है ना ही पढना लिखना जानती है केवल हस्ताक्षर करना जानती है। अपीलार्थी के पति विदेश में काम करते है। जिन्होने अपीलार्थी के पति की गैरमौजूदगी में जब अपीलार्थी के पति विदेश में काम करते थे, रिश्तेदारी का सहारा लेते हुये अपीलार्थी से कुछ पेपरों पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये कि उक्त खसरा नम्बर 4987 में से तुमने जो भूमि खरीद रखी है और जिस पर तुम्हारा कब्जा है उसका खाता अलग से छटवा देते है तथा नक्शें में भी उसके अनुरूप अलग से खेत बनवा देते है। ताकि हमारी भूमि अलग हो जावेगी व तुम्हारी भूमि अलग हो जावेगी, जिससे भविष्य में आपके व हमारे बीच विवाद की कोई स्थिति नहीं रहेगी। उक्त क्रम में अपीलार्थी ने मौके पर अपीलार्थी का जिस तरह कब्जा है उसके अनुरूप खाता छटवाने के लिये सहमति दे दी। जिसकी सारी कार्यवाही रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 तथा उनके परिजनों ने ही की। इस तरह रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 4987 का गलत तरीके से दो हिस्सों में विभाजन करवा लिया। इस तरह उक्त कार्यवाही मौके पर स्थिति के विपरीत व साजिशी होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय पटवारी हल्का से मौके की स्थिति की रिपोर्ट भी नहीं ली, ना यह जानने की कोशिश की कि मौके पर पक्षकारान का कब्जा किस तरह है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी बडे खसरे में से किसी पक्षकार द्वारा एक निश्चित हिस्सा निश्चित सीमाओं के मध्य का खरीदा है तो तरमीम करते समय उसके नाम राजस्व रिकार्ड में उसी हिस्से का इन्द्राज किया जाता है जबकि मौजूदा प्रकरण में उक्त सिद्वान्त की पालना नहीं हुई है। इस प्रकार भी आक्षेपित आदेश व कार्यवाही गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है। धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त प्रकरण में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की सहमति अर्थात दोनों पक्षों द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामें के आधार पर सहमति होने पर विभाजन भूमि हेतु निर्णय पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध कोई अपील ग्राह्य योग्य नहीं है, साथ की अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 05/2025 रूबिना बानों बनाम आरिफा बानो वगै0।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों व प्रचलित विधिक प्रावधानों/नियमों का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया।

1. सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम की बहस तथा अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली में उभय पक्षों के हस्ताक्षर अंकित है। भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण,भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड (11) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) अधिसूचना कमांक 8242/राजस्व नई दिल्ली दिनांक 29.12.2015 तहत उक्त विवादित आराजीयात का अखबार में प्रकाशन भी किया गया था। उक्त प्रकाशन में ग्राम का नाम उदेईकला, खं0नं0 4987/8008, 4987 भूमि का प्रकार निजी ,भूमि की प्रकृति नहरी, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कमशः 936, 336 ,भूमि मालिक/हितधारी व्यक्ति का नाम कमशः रूबिना बानों , आसिफ बानों, शमीमा बानों अंकित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्य छिपाए गए है, क्योकि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में मुआवजा कार्यवाही के बारे में उल्लेख कर मुआवजा नहीं लेने हेतु भी उल्लेख किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के अधिनिर्णय (अवार्ड) कमांक राजस्व/2018/3880 दिनांक 30.04.2018 के साथ संलग्न भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण में रूबिना बनों पत्नि अर्शद द्वारा मुआवजे की गणना में भूमि की दर व्यावसायिक लेकर किये जाने हेतु आवेदन किया है, अंकित किया है, जबकि अपीलार्थी यदि समक्ष प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी द्वारा जारी अवार्ड राशी की गणना/निर्धारण से असंतुष्ट था तो एनएच एक्ट 1956 की धारा 3 जी (5)(6) के तहत **arbitrator** के समक्ष भी उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार रखता था। इसके बाबजूद भी लिमिटेशन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु बिलंब का कोई विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथमतः अपील मियाद बाहर है।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत अपीलार्थी द्वारा स्वयं ने अपनी अपील में उक्त वाद आराजीयात राजमार्ग में जाना व मुआवजा प्राप्त करने तथ्यों का अंकित किया है तथा भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना कमांक 8242 /राजस्व/नई दिल्ली दिनांक 29[illegible].20[illegible] के अनुसरण में अखबार के प्रकाशनार्थ में उक्त विवादित आराजीयात का अंकन किया हुआ है। ऐसी स्थिती में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को रेस्पोंडेन्ट सं0 4 व 5 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है, साथ ही अपील मीमों में प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 पर लाल स्याही से अंकित किया जाता है।

2. प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत ऐसे समस्त दस्तोवज जो न्याय निर्णयन में सहायक सिद्ध हो, व आवश्यक वाद बहुलता को सीमित करने में आवश्यक हो, ऐसे दस्तावेजों को नैसिर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत न्यायालय रिकोर्ड पर लेने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिती में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

3. प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट के तहत अपनी अपील की ताईद में सुसंगत विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व पक्षकार का है। वादी/अपीलान्ट वाद का मालिक है। न्यायालय में अपील जबकि मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। तब तक मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाने हेतु अपीलान्ट के पास पर्याप्त अवसर थे।(तकासमा दिनांक 28.12.2012 से अपील प्रस्तुत करनी की दिनांक 20.08.2019तक) ,साथ ही अदालत हाजा द्वारा प्रस्तुत अपील में पूर्व में अपीलान्ट के हक में पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.08.2019 के उपरांत भी परिवर्तन होने का कोई उल्लेख/चैलेज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिती में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई न्यायोचित औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मंगवाए जाने मौका रिपोर्ट निरस्त किया जाता है।

4. प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति के तहत
   1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित लॉ ऑफ एस्टोपल की धारा 121 से 123
   2. सिविल प्रकिया संहिता–1973 में उल्लेखित आर्डर 12 रूल्स 6
   3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955
   4. भू–राजस्व अधिनियम–1956

में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत पक्षकारान की सहमति से हुए आदेश/निर्णय की अपील का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। उक्त नियमों के तहत न्यायालय सहमति के आधार पर किये गये विभाजन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में किया जाना सुसंगत नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतः प्रस्तुत अपील में निर्णय इस प्रकार हैः— अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.08.2019 निरस्त किया जाता है। चूंकि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3 डी के तहत अधिसूचना दिनांक 29.12.2015 में उल्लेखित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित हो गई है व मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है। तहसीलदार राजस्व रिकोर्ड अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के हक में अमल दरामद/नामान्तकरण दर्ज करने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित तकासमा आदेश दिनांक 28.12.2012 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी राष्ट्रीय राजमार्ग की रिकोर्ड के अनुसार मौके पर भूमि की पमाईश करें व जिस पक्षकार की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के रिकोर्ड के अनुसार राजमार्ग सीमा में होना पाया जाता है उसकी रिपोर्ट निर्णय के 15 दिवस में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी व अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम जयपुर को उपलब्ध करावे। बटबारें अनुसार मौके पर जिस पक्षकार की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की मौके व रिकोर्ड अनुसार निर्मित सड़क में पाई जावे उसके अनुसार यदि मुआवजा पक्षकार के खाते में हस्तांतरित नहीं हुआ हो तो सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी पक्षकार से सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर व पूर्व अवार्ड दिनांक 29.12.2015 को प्रचलित बाजार दर/सोलेशियम अनुसार तथा नियमानुसार मुआवजा का पुनर्निर्धारण कर पक्षकार को उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार गंगापुर सिटी रिकोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के हक में 7 दिवस में नामान्तकरण दर्ज कर नक्शें में तरमीम करें व राजस्व रिकोर्ड तथा नक्शे तरमीम की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी व अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम जयपुर को उपलब्ध करावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी